



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त;
मार्टीय विश्वविद्यालय रांघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU
रेलवे रोड, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurved@gmail.com; Website : www.uau.ac.in;

संख्या : 122 / उ0आ०वि०/परीक्षा/2021–22

दिनांक : 12 अगस्त 2021

कार्यालय—आदेश

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसंचना दिनांक 07 नवम्बर 2016 में चर्णित व्यवरथा/नियमानुसार
वी0ए०ए०ए०स० प्रथम व्यवसायिक के सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्र-छात्राएँ को ही तृतीय व्यवसायिक की मुख्य
परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होते हैं। किन्तु वैश्विक महामारी कोविड-19 के विषम परिस्थिति को
दृष्टिगत रखते हुये विशेष परिस्थितियों एवं अधिकतर संरथानों के प्राचार्य/अधीक्षकों एवं अध्यनरत
छात्र-छात्राओं द्वारा अनुरोध करने के उपरान्त प्रथम व्यवसायिक में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को तृतीय
व्यवसायिक की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि परिसरों
के परिसर निदेशक एवं सम्बद्ध निजी संरथानों के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परीक्षा में
शामिल होने वाला छात्र का तृतीय व्यवसायिक का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया हो। साथ ही यह भी
अवगत कराना है कि उन छात्रों का तृतीय व्यवसायिक का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय रूप से तभी घोषित
किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रथम व्यवसायिक उत्तीर्ण कर लिया जायेगा।

2— उपरोक्त निर्णय कोविड-19 वैश्विक महामारी के विषय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये छात्र हित में
लिया गया है इसे भविष्य में नजीर न समझा जाये।

उक्त आदेश मा० कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(डॉ प्रदीप कुमार गुप्ता)
प्रभारी परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव महोदय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. विश्वविद्यालय के परिसर/निजी सम्बद्ध संरथान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

प्रभारी परीक्षा नियन्त्रक
19/08/2021